

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ 12/62020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

दिनांक 20.10. को थाना लक्सा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान 2020मुखबिर की सूचना पर मु0088 0सं0अ0/ भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 379 धारा 2020कल्लू उर्फ सहबाज खान पुत्र जुनैद खान निवासी डी 44/52 बागरानी भवानी थाना लक्सा वाराणसी उम्र 19 वर्ष को रामापुरा चौराहे से रेवड़ी तालाब जाने वाली मार्ग से समय करीब 23.बजे गिरफ्तार किया गया 40, जिसके कब्जे से चोरी का ओप्पो एफ-7 मोबाईल रंग लाल व 3,000/- रूनगद बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के 0 सम्बन्ध में थाना लक्सा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 18.10.2020 को मैंने एक स्कूटी से दीना चाट भण्डार लक्सा रोड से ओपो एफ,रूपया चोरी किया था 3000 मोबाईल व 7- वही मोबाईल मैं राहगीरों को बेचने की फिराक में था कि आपलोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- कल्लू उर्फ सहबाज खान पुत्र जुनैद खान निवासी डी 44/52 बागरानी भवानी थाना लक्सा वाराणसी उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 11/2020 धारा 379,511 भादवि थाना लक्सा जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 88/2020 धारा 379,411 भादवि थाना लक्सा वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

1. ओप्पो एफ-7 मोबाईल रंग लाल
2. रू0 3,000/- नगद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 धर्मवीर, का0 अजीत कुमार व हो0गा0 भोला गोस्वामी थाना लक्सा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ 12/72020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

दिनांक 20.10. को 2020थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु 0सं0अ0 507/307 धारा 2020/504/ भादवि 506से सम्बन्धित अभियुक्तगण (1) हरिनारायण यादव पुत्र जित्तन यादव निवासी गौराकला थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब वर्ष 45 व)2 (दीपक यादव पुत्र स्व 0 वर्ष 40 वंशनारायण यादव निवासी गौराकला थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब को ग्राम गौराकला से समय करीब 17.बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हरिना 40रायण के कब्जे से अदद 01लाईसेन्सी पिस्टल नंमय मैगज 159106797 0ीन व 4913 0अदद जिन्दा कारतूस मय लाईसेन्स नं 22बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. हरिनारायण यादव पुत्र जित्तन यादव निवासी गौराकला थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 45 वर्ष
2. दीपक यादव पुत्र स्व0 वंशनारायण यादव निवासी गौराकला थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- अभियुक्त हरिनारायण यादव के पास से एक अदद लाईसेन्सी पिस्टल नं0 159106797 मय मैगजीन व 22 अदद जिन्दा कारतूस तथा लाईसेन्स नं0 4913 ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा व का0 सत्यदीन यादव थाना चौबेपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ 12/82020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.10.0436 0सं0अ0को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा मु 2020/3 धारा 2020(1)
उ 2015 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधित अधिनियम 0प्र0से
सम्बन्धित अभियुक्तगण)1 ,बृजनाथ सिंह ((2) विजय कुमार व)3इन्द्रजीत पटेल गिरफ्तार (

दिनांक को 21.10.2020थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0436 0सं0अ0/3 धारा 2020(1) उगिरोह 0प्र0बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधित अधिनियम 2015से सम्बन्धित अभियुक्तगण)1 (बृजनाथ सिंह पुत्र स्वसेतू राम सिंह 0 निवासी भवानीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र ,वर्ष 46(2) विजय कुमार पुत्र स्वपंचम राम 0 निवासी भवानीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र वर्ष 42व)3 (इन्द्रजीत पटेल पुत्र महादेव निवासी ग्राम नरऊर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र वर्ष 43को ग्राम भवानीपुर से समय करीब 07.बजे 30 गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. बृजनाथ सिंह पुत्र स्व0 सेतू राम सिंह निवासी भवानीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र 46 वर्ष।
2. विजय कुमार पुत्र स्व0 पंचम राम निवासी भवानीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र 42 वर्ष।
3. इन्द्रजीत पटेल पुत्र महादेव निवासी ग्राम नरऊर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 159/2020 धारा 272 भादवि व 60(1) (घ)(ड़) उ0प्र0उत्पाद शुल्क /आबकारी अधि0 थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।
2. मु0अ0सं0 436/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के सदस्य-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 अरविन्द तिवारी, उ0नि0 रामचन्द्र यादव, का0 उदयभान सिंह, का0 श्रवण कुमार, का0 अविनाश राना व का0 राहुल कुमार थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ 12/92020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.10. को पुलिस लाईन वाराणसी में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर 2020 *पुलिस स्मृति दिवस-2020* एवं *पुलिस झण्डा दिवस* का भाव पूर्ण आयोजन किया गया। इस आयोजन के *मुख्य अतिथि बृज भूषण*वाराणसी ,अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , रहे। इस अवसर पर *अमित पाठकव -रिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसीपुलिस अधीक्षक -विकास चन्द्र त्रिपाठी , ,पुलिस अधीक्षक यातायात -श्रवण कुमार सिंह ,पुलिस अधीक्षक ग्रामीण -मार्तण्ड प्रकाश सिंह ,नगर -अनुराग दर्शन ,पुलिस अधीक्षक सुरक्षा -सुकीर्ति माधव ,पुलिस अधीक्षक अपराध -अजय कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक प्रोटोकालसहायक पुलिस -सागर जैन ,पुलिस अधीक्षक लाईन -आदित्य लाग्हे , (0प्रशि) अधीक्षक)*, संदीप कुमार रायप्रतिसार निरीक्षक द्वितीय -अनुपम सिंह ,प्रतिसार निरीक्षक प्रथम -थानाध्यक्ष के साथ ही पुल/प्रभारी निरीक्षक ,वाराणसी सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीसि विभाग की शाखा पी0सी0ए0, अभिसूचना विभागएटीएस एवं ,ईओडब्लू,सीबीसीआईडी ,सतर्कता , कर्मचारीगण उपस्थित रहे।/अन्य विभागों के अधिकारी

मुख्य अतिथि द्वारा अपने सम्बोधन मेंबताया गया कि जनमानस की सुरक्षा में प्राणों को जोखिम में डालकर दिनांक 21.10. को चीनी 1959सेना द्वारा उत्तरी सीमा से ढकी लद्दाख की चोटियों में सजग प्रहरियों की ड्यूटी करते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों को अचानक हमलें में मातृभूमि की 10 अक्टूबर को सम्पूर्ण 21 सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दे दी थी। उनकी याद में प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09. से 2019 31.08.पुलिसजनों ने कर्तव्य की बेदी पर अपने 264 तक की अवधि में सम्पूर्ण भारतवर्ष में 2020 पुलिसजन सम्मिलित है 09 के 0प्र0जिसमें उ ,जीवन को उत्सर्ग किया। सभी शहीद पुलिसकर्मियों का नामवार उल्लेख मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण/द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। तदोपरान्त पुलिस लाईन के विशेष सशस्त्र जवानों द्वारा शोक सलामी दी गयी तथा सभी ने मिनट का मौन रखा। 02

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ /1302020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.10. को 2020मुस0अ0ं436 0/3 धारा 2020(1) गैंगस्टर अधिमें निरूद्ध 0) अभियुक्तगण1 (बृजनाथ सिंह पुत्र स्वसेतू राम सिंह निवासी भवानीपुर थाना रोहनिया 0ँ वाराणसी उम्र ,वर्ष 46(2) विजय कुमार पुत्र स्वपंचम राम निवासी भवानीपुर थाना रोहनिया 0ँ वाराणसी उम्र वर्ष 42व)3 (इन्द्रजीत पटेल पुत्र महादेव निवासी ग्राम नरऊर थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र वर्ष 43को छुड़वाने के लिये भृगनाथ सिंह पटेल के नेतृत्व में 50-60 पुरुष/महिलायें थाना रोहनियाँ के प्रांगण में आकर नारेबाजी करने लगे। थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा उन्हें समझाकर थाना गेट से बाहर किया गया, जहाँ पर भृगनाथ सिंह पटेल द्वारा अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र रमेश पटेल को पुराने जीटी रोड पर थाना गेट के सामने लिटाकर मार्गावरोध करते हुए पुलिसबल पर पथराव किया गया। मार्गावरोध होने के कारण एम्बुलेंस में फसे मरीजों व आने जाने वाले राहगीरों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा भीड़ का नेतृत्व कर रहे भृगनाथ सिंह पटेल व उसके साथियों को गिरफ्तार कर मार्गावरोध समाप्त कराया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा भृगनाथ पटेल समेत 50- 60पुरुषों महिलाओं/के विरूद्ध मुस0अ0ं437 / धारा 2020 147,149,341,332,353,336,269, सीएलए 7 ,भादवि 270एक्ट व 0आपदा प्रबन्धन अधि 51 एक्ट 2005पंजीकृत कर समय 10. अभियुक्तगण को 05 बजे 40गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. भृगनाथ सिंह पटेल पुत्र स्व0 सेतुराम सिंह पटेल निवासी ग्राम भवानीपुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।
2. जय प्रकाश पुत्र हरिनाथ निवासी ग्राम भवानीपुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।
3. मुफीद आलम पुत्र सबीर निवासी ग्राम भवानीपुर थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।
4. 02 अभियुक्ता ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 सचिन कुमार चौकी प्रभारी मातलदेई, उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह प्रभारी हल्का प्रथम, उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव चौकी प्रभारी राजातालाब, हे0मु0 उदय शंकर तिवारी, का0 विश्वजीत पाण्डेय, का0 भावेश मिश्रा, का0 सौभाग्य पाण्डेय, का0मु0 हरिश्चन्द्र, का0मु0 मनोज कुमार प्रजापति, महिला का0 स्नेहा पाण्डेय, म0का0 प्रतिभा तिवारी, म0का0 अंजली, म0का0 पिकी गौड़, म0का0 पूजा, म0का0 चन्दा व म0का0 सुमन थाना रोहनियाँ जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ /1312020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

आज दिनांक 21.10.को थाना सिगरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की 2020 480 0सं0अ0सूचना पर मु/363 धारा 2020/ भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 366रोशन गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता निवासी ग्राम विषय पोस्ट मानिकपुर थाना तारापुर जिला मुंगेर बिहार तथा हाल पता सेक्टर 35 नोयडा जनपद गौतमबुद्ध नगर 24 चौकी मोरना थाना सेक्टर को कैण्ट रेलवे स्टेशन गेट नंके पास से 1 0 12 समय करीब बजे गिरफ्तार किया गया तथा महिला आरक्षी की मदद से अपहृता को बरामद 30 किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- रोशन गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता निवासी ग्राम विषय पोस्ट मानिकपुर थाना तारापुर जिला मुंगेर बिहार तथा हाल पता सेक्टर 35 चौकी मोरना थाना सेक्टर 24 नोयडा जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 शिवानन्द, का0 सूरज कुमार भारती, का0 जितेन्द्र सिंह व म0का0 मंजू वर्मा थाना सिगरा जिला वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक को 21.10.2020थाना जैतपुरा की एण्टीरोमियो टीम द्वारा मदरसा जामिया आलिया दोषीपुरा थाना जैतपुरा में लगभग 100 * छात्राओं को”मिशन शक्ति”* के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें महिला सुरक्षाअधिकारों एवं विधिक , प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। उक्त टीम में उपनिरीक्षक मोहम्मद सुफियान खान, कां0 गौतम प्रसाद, कां0 जसपाल गौतम, महिला कांस्टेबल अर्चना यादव व महिला कांस्टेबल अनीता सिंह शामिल रही।

इसी क्रम में टीआई* द्वारा 06 व टीआई 01 "मिशन शक्ति"* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.10.को धर्मशाला तिराहा 2020 व कैट स्टेशन पर ऑटो चालकों व महिलाओं को एवं थाना कोतवाली एण्टीरोमियो टीम द्वारा कबीरचौरा अस्पताल का भ्रमण करते हुए उपरोक्त अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति के आने पर सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नम्बरों)112,1098,1090,181,1076,108,102 (की जानकारी भी दी गयी।

इसी क्रम में एण्टीरोमियो टीम द्वारा *”मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत जगनारायण सिंह इण्टरमीडिएट कालेज हरपालपुरसुभाष इण्टर कालेज व ,चन्द्रमा सिंह महिला डिग्री कालेज 0डा , बासमती देवी पीजी कालेज खोचवा में भी बालिकाओं को उपरोक्त अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति के आने पर सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नम्बरों) 112,1098,1090,181,1076,108,102(की जानकारी भी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।











कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 , फ़ैक्स-91-542-250145 , 0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या : पीआरओ /1332020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

*मिशन शक्ति अभियान में आज दिनांक 21.10. को थाना 2020लोहता पुलिस की एण्टी रोमियो टीम व मिशन शक्ति टीम के द्वारा महिलाओं लड़कियों के ऊपर छींटाकशी करने वाले / व्यक्ति अभियुक्त विकास यादव के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही चालान अन्तर्गत धारा 151
*सीआरपीसी किया गया।

आज दिनांक 21.10. को 2020थाना लोहता पुलिस की एण्टी रोमियो टीम मिशन शक्ति टीम / * द्वारा "मिशन शक्ति" अभियान के क्रम में ग्राम भट्टी रेलवे लाइन पुलिया के पास से विकास यादव पुत्र बुद्धू यादव निवासी ग्राम भट्टी थाना लोहता वाराणसी को आने लड़कियों को /जाने वाली महिलाओं- परेशान करते व फ़व्वियाँ कसते हुए पाये जाने पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत पुलिस हिरासत में लेकर धारा सीआरपीसी में चालान किया गया 151।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 शैलेश प्रताप सिंह, का0 गौरव सिंह, म0का0 बिडू कुमारी, का0 बलिराज व का0 अनूप वर्मा थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ /1342020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

*“मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत दिनांक 21.10.को जनपद वाराणसी में बाल विवाह एवं साइबर 2020 अपराध के मुद्दे पर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन की अध्यक्षता में वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें
*-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा निम्न बातों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी

1. Help Line नम्बरों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया कि कब और किस समय हमें नीचे दिये गये हैल्प लाइन नम्बरों पर सम्पर्क कर सहायता लेनी चाहिये।
 - 1090: वीमेन पावर लाइन प्रदेश स्तर,
 - 112: आपातकालीन हैल्प लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर,
 - 181: महिला हेल्प लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर,
 - 1076: मामुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 0,
 - 108: आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा राष्ट्रीय स्तर,
 - 102: एंबुलेंस सेवा राष्ट्रीय स्तर,
 - 1098: चाइल्ड लाइन नम्बर राष्ट्रीय स्तर आपातकालीन सेवा।
2. महिला को अपनी समस्या बताने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस सदैव आपके साथ है।
3. यदि महिला डरेगी तो अपराधियों का मनोबल बढेगा और ये दूसरों को भी परेशान करेंगे।
4. घरेलू हिंसा के संबंध में निडर होकर पुलिस को सूचना दे।
5. महिलाओं को पढ़ाई का समान प्रदान करें।
6. किसी अन्य महिला को परेशान देखे तो उनकी भी मदद करें या हमारे हेल्प लाइन नम्बरों पर काल करें।
7. मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर अत्यधिक सावधानी बरते।
8. विवरण .एम.टी.ए/मोबाइल फोन पर अपरिचित द्वारा काल आने पर उसके झांसे में न आये व अपना बैंक कदापि किसी को न दे।
9. महिला को कोई किसी भी प्रकार से परेशान करता हो तो उसकी शिकायत हेल्प लाइन नम्बरों /किसी लड़की के माध्यम से करें, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।

उक्त बैठक में पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों व सामाजिक संस्थाओं के अधिकारीगण मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644 ,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,
policevaranasi

Facebook-

संख्या :पीआरओ /1352020

दिनांक: अक्टूबर ,2/12020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 21.10.को महिला 2020 प्रकरणों में 02 शिकायती प्रार्थना पत्रों की सुनवाई हुई। जिसमें से 17 सहायता प्रकोष्ठ वाराणसी में कुल ,मीडिएशन से सहमति प्राप्त कर पीड़िता अपने घर जाने हेतु सहमत हुई 06 प्रकरणों में पीड़िता अपने ससुराल नहीं जाना चाह रही थी तथा तलाक लेना चाहती थी अतः, उन्हें माभेजा गया। अन्य 0 न्या 0 साथ जरिये -जिनको नोटिस भेजने के साथ ,प्रकरणों में विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए 09 शेष बचे मोबाईल अग्रिम तिथि से अवगत कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

Mahila sahayata prakoshth me ek dampati ki counseling ker punarmilan kraya gaya



वाराणसी पुलिस आपकी अपनी पुलिस :

कार्यालय वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644

,फैक्स-91-542-250145 ,0 ईमेल-sspvns-up@nic.in,

Facebook-

policevaranasi

संख्या:पीआरओ /1362020

दिनांक: अक्टूबर/21 ,2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 21-10- को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा 2020*मिशन शक्ति* के अन्तर्गत थाना चौक पर बने महिला हेल्पडेस्क के कार्यों की समीक्षा कर हेल्पडेस्क पर नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये तथा जनपद में कानूनव्यवस्था बनाये रखे हेतु -शान्ति/ थाना चौकलक्सा, व दशाश्वमेध क्षेत्र में भ्रमण कर यातायात व्यवस्था सुचारु करने व सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक

सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 21-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए* कुल36 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *23 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1370 वाहनों का चालान, 12 वाहनों को सीज तथा 211 वाहनों से रु0-2,12,300/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 21-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1294 व्यक्तियों से रु0-55,100/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।